डिस्कलेमर

अंतरिम आदेश संख्या 05/2023-24 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/एमएबीपीएल/सी/बैंगलुरू/सीपी-III/2023-28/

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

*****

आदेश संख्या 05/2023-24

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली – 110003

जारी करने की तारीख: 19.05.2023

सेवा	:	**कार्गो हैंडलिंग सेवाएं**
सेवा प्रदाता	:	**मेनजीस एविएशन (बैंगलुरू) प्राइवेट लिमिटेड (एमएबीपीएल)**
हवाईअड्डा	:	**कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (केआईए) बैंगलुरू**
हवाईअड्डा प्रचालक	:	**बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएएल)**

विषय : मैसर्स मेनजीस एविएशन (बैंगलुरू) प्राइवेट लिमिटेड (एमएबीपीएल) द्वारा कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (केआईए), बैंगलुरू में प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) अर्थात 24.05.2023 से 30.09.2023 तक के लिए तदर्थ टैरिफ निर्धारित करने के मामले में।

स्वतंत्र सेवा प्रदाता (आईएसपी) की प्रस्तुति

1. डब्ल्यूएफएस (बैंगलुरू) प्राइवेट लिमिटेड के अतिरिक्त मेनजीस एविएशन लिमिटेड कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (केआईए), बैंगलुरू में कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएएल) द्वारा चुने गए सफल बोलीदाताओं में से एक है। सफल बोलीदाता (अर्थात मेनजीस एविएशन लिमिटेड) और हवाईअड्डा प्रचालक (बीआईएएल) के बीच किए गए संयुक्त उद्यम करार के अनुसार सफल बोलीदाता और बीआईएएल केआईए, बैंगलुरू में कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करेंगे।

तदनुसार मेनजीस एविएशन (बैंगलुरू) प्राइवेट लिमिटेड को इसके बाद "एमएबीपीएल" कहा गया है, जो मेनजीस एविएशन लिमिटेड और बीआईएएल द्वारा बनाई गई संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) है और इसे भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 5 सितम्बर, 2022 को निगमित किया गया है।

2. मैसर्स एमएबीएल ने दिनांक 09.03.2023 के अपने पत्र द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ-साथ वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक की अवधि के लिए बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) प्रस्तुत किया:

(क) ऐरा के दिशा-निर्देशों के अनुसार वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव (एटीपी) फार्म

(ख) सेवा प्रदाता अधिकार धारक (एसपीआरएच) करार

(ग) हितधारकों की बैठक का कार्यवृत्त

(घ) कारोबार की योजना

3. तत्पश्चात मैसर्स एमएपीबीएल ने दिनांक 13.04.2023 के पत्र द्वारा प्राधिकरण से यह अनुरोध किया कि वह बैंगलुरू हवाईअड्डे पर उनकी प्रस्तावित अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में तदर्थ टैरिफ दरों के लिए अनुमोदन प्रदान करें। आईएसपी ने अपने प्रस्ताव में नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक पदस्थ कार्गो टर्मिनल प्रचालक अर्थात मेनजीस एविएशन बोब्बा (बैंगलुरू) प्राइवेट लिमिटेड (एमएबीबीपीएल), बैंगलुरू हवाईअड्डा के लिए लागू वर्तमान टैरिफ दरों की तुलना में अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय टैरिफ दरों में क्रमश: 35% और 15% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है।

4. एमएबीपीएल (नए सेवा प्रदाता) ने पदस्थ प्रचालक के लिए लागू टैरिफ की तुलना में तदर्थ टैरिफ दरों में प्रस्तावित वृद्धि के निम्नलिखित प्रमुख कारण बताए हैं:

क एमएबीबीपीएल (पदस्थ कार्गो टर्मिनल प्रचालक) के लिए केआईए, बैंगलुरू में इसकी कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ दरें पहले प्राधिकरण के दिनांक 10 जून, 2013 के आदेश संख्या 14/2013-14 द्वारा संशोधित की गई थी।

ख प्रथम नियंत्रण अवधि के दौरान 225.70 करोड़ रूपए का अनुमानित पूंजीगत व्यय वहन किए जाने का प्रस्ताव है।

ग प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए लगभग 1065.00 करोड़ रूपए का प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) व्यय होने की संभावना है।

प्राधिकरण द्वारा मैसर्स एमएबीपीएल के अनुरोध की जांच

5 प्राधिकरण नोट करता है कि मेनजीस एविएशन लिमिटेड को हवाईअड्डा प्रचालक (बायल) द्वारा कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (केआईए), बैंगलुरू में अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए रियायत दी गई है। उपुर्यक्त के अनुसरण में मेनजीस एविएशन लिमिटेड और बायल द्वारा संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात 'एमएबीपीएल' बनाई गई थी। हाल ही में बनाई गई कंपनी को 5 सितम्बर, 2022 को भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित किया जा चुका है।

6. बाद में, 26 दिसम्बर, 2022 को बायल, मेनजीस एविएशन लिमिटेड और एमएबीपीएल के बीच सेवा प्रदाता अधिकार धारक (एसपीआरएच) करार (त्रिपक्षीय करार) किया गया था। एसपीआरएच करार के अनुसार रियायत की अवधि मौजूदा कार्गो टर्मिनल-1 को सौंपने की तारीख से पंद्रह (15) वर्ष हैं, जिसे बायल के विवेकाधिकार से सात (07) वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

7. एमएबीपीएल (संयुक्त उद्यम कंपनी) की हिस्सेदारी संरचना इस प्रकार है:

तालिका -1 : एमएबीपीएल की हिस्सेदारी सरंचना का सारांश

हिस्सेदार का नाम	ईक्विटी का हिस्सा (%)
मेनजीस एविएशन लिमिटेड	74 %
बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बायल)	26 %
कुल	100%

8. एसपीआरएच करार के खंड दो (2) के अनुसार एमएबीपीएल को निम्नलिखित के लिए अधिकार सौंपे गए है:

i बायल द्वारा निर्धारित किए अनुसार मौजूदा कार्गो टर्मिनल-1 की डिजाइन, निर्माण, वित्त, विकास, इसे शुरू करने और सुसज्जित करने संबंधी कार्य

ii. नए अंतरदेशीय कार्गो टर्मिनल की डिजाइन, निर्माण, वित्त, विकास, प्रचालन, प्रबंध, रखरखाव और हस्तांतरण करने संबंधी कार्य।

9. प्राधिकरण नोट करता है कि एमएबीपीएल ने नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के दिनांक 20 अप्रैल, 2023 के आदेश द्वारा बीसीएएस से सुरक्षा अनुमति प्राप्त कर ली है। बीसीएएस के आदेश के अनुसार "सुरक्षा अनुमति इसे जारी किए जाने की तारीख से पांच (05) वर्ष की अवधि के लिए या हवाईअड्डा प्रचालक के साथ संविदा की वैधता की अवधि, जो भी पहले हो, तक वैध रहेगी।"

10 प्राधिकरण नोट करता है कि एमएबीपीएल ने बैंगलुरू हवाईअड्डे पर पदस्थ कार्गो सेवा प्रदाता अर्थात मेनजीस एविएशन बोब्बा (बैंगलुरू) प्राइवेट लिमिटेड (एमएबीबीपीएल) के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मौजूदा टैरिफ दरों में अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं की टैरिफ (तदर्थ टैरिफ) में क्रमश: 35% और 15% वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है। इसके अतिरिक्त एमएबीपीएल ने कुछ अतिरिक्त सेवाओं, जो एमएबीबीपीएल (पदस्थ कार्गो टर्मिनल प्रचालक) के टैरिफ दर कार्ड का हिस्सा नहीं है, के लिए भी तदर्थ टैरिफ दरों का प्रस्ताव किया है। एमएबीपीएल ने दिनांक 04.05.2023 की ई-मेल द्वारा निम्नलिखित प्रमुख अतिरिक्त सेवाओं के संबंध में औचित्य/ कारण प्रस्तुत किए हैं:

क्र.सं.	नई सेवा(ओं) का नाम	प्रस्तावित सेवाओं का ब्यौरा	औचित्य
01	पर/पीआईएल/ टीसीआर	आयात एवं निर्यात के लिए पैलेट बनाना/यूनिट बनाना/ बड़ी मात्रा वाले कार्गो को संभालना–एयर लाइनों द्वारा देय	आईएसपी ये सेवाएं कार्गो टर्मिनल-2 के माध्यम से अपने एयरलाइन ग्राहकों को देना चाहता है, जो हवाईअड्डे द्वारा नष्ट होने योग्य कार्गो को संभालने के लिए निर्दिष्ट हैं।
02	विशेष	पैलेट हटाना/ यूनिट हटाना/ अंतरदेशीय इनबाउंड कार्गो के लिए बड़ी मात्रा वाले कार्गो को संभालना–एयरलाइनों द्वारा देय	आईएसपी को अपने एयरलाइन ग्राहकों द्वारा प्रचालित अंतरदेशीय मालवाहक उड़ानों का संचालन करना होता है। इसके लिए उसे प्रस्तावित टैरिफ वसूलने के लिए अपेक्षित विशेष उत्पादों वाले यूएलडी या भारी मात्रा वाले कार्गो का पैलेट हटाना और यूनिट को अलग करना होता है।

03	सामान्य विशेष प्रलेखन प्रभार	अंतरदेशीय से अंतरदेशीय के लिए वाहनांतरण प्रभार– एयरलाइनों द्वारा देय	टियर-2 या 3 शहरों के लिए उड़ान प्रचालित करने वाले अंतरदेशीय वाहकों की बीएलआर हवाईअड्डे से अच्छी संपर्कता होती है और बीएलआर की भी टियर-1 शहरों से अधिक संपर्कता होती है, इसलिए एयरलाइनें अंतरदेशीय कार्गो के लिए स्थानातंरण केन्द्र के रूप में बीएलआर का प्रयोग करती है। इस कारण से आईएसपी ने अंतरदेशीय हवाईअड्डों के लिए स्थानांतरित सभी अंतरदेशीय वाहनांतरण के लिए टैरिफ शामिल करने का प्रस्ताव किया है।

11. एमएबीपीएल ने दिनांक 02.05.2023 की ई-मेल द्वारा एएफएस कार्गो से संबंधित निर्मित पेलेट (बीयूपीएस) के लिए भी अलग टैरिफ दरें प्रस्तुत की है। प्राधिकरण का कहना है कि आईएसपी ने निर्यात एवं आयात कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए सामान्य कार्गो के संबंध में प्रस्तावित प्रभारों की तुलना में बीयूपीएस (टीएसपी प्रभार) के लिए 30 % न्यूनतर टैरिफ दरों का प्रस्ताव किया है।

12. उपुर्यक्त पैरा 10 में इंगित किए अनुसार आईएसपी द्वारा अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ दरों में मांगी गई प्रस्तावित वृद्धि के संबंध में प्राधिकरण परामर्श पत्र को अंतिम रूप देते समय आईएसटी द्वारा प्रस्तुत एमवाईटीपी और कैपेक्स,ओपेक्स, कार्गो की मात्राओं एवं अन्य विनियामक बिल्डिंग ब्लाकों आदि सहित प्रस्ताव के अन्य संगत पहलुओं की विस्तृत जांच करेगा।

13. इसी बीच एमएबीपीएल के संबंध में तदर्थ टैरिफ को अंतिम रूप देने के प्रयोजन से प्राधिकरण ने आईएसपी द्वारा प्रस्तावित तदर्थ टैरिफ दरों की बैंगलुरू हवाईअड्डे पर स्थित अन्य दो (2) पदस्थ कार्गो टर्मिनल प्रचालकों अर्थात मेनजीस एविएशन बोब्बा (बैंगलुरू) प्राइवेट लिमिटेड और एयर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एआईएसएटीएस) के संबंध में प्रचलित टैरिफों से तुलना की है, जो ऐरा द्वारा क्रमश: दिनांक 25 फरवरी, 2019 के आदेश संख्या 41/2018-19 और दिनांक 01.03.2018 के आदेश संख्या 40/2017-18 द्वारा अनुमोदित हैं और जिन्हें ऐरा के समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अंतरिम आधार पर 30.09.2023 तक आगे बढ़ाया गया है।

दोनों पदस्थ प्रचालकों से संबंधित टैरिफ और आईएसपी द्वारा यथा प्रस्तावित टैरिफ के तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण केआईए, बैंगलुरू में आईएसपी द्वारा प्रस्तावित विभिन्न कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ आधार पर न्यूनतम टैरिफ दरों को मानने का निर्णय लेता है। साथ ही ऐसी अतिरिक्त कार्गो हैंडलिंग सेवाओं, जो पदस्थ प्रचालकों के टैरिफ दर कार्ड का भाग नहीं है, के मामले में प्राधिकरण ने ऐसी अतिरिक्त सेवाओं के लिए आईएसपी द्वारा प्रस्तावित टैरिफ की अन्य प्रमुख हवाईअड्डों पर इसी प्रकार की समान सेवाओं के लिए प्रचलित दरों से तुलना कर ली है और तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर अतिरिक्त सेवाओं के लिए न्यूनतम टैरिफ को मानने का निर्णय लेता है।

14. प्राधिकरण नोट करता है कि परामर्श पत्र और टैरिफ आदेश को जारी करने सहित बैंगलुरू हवाईअड्डे पर आईएसपी के लिए कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित करने की विनियामक प्रक्रिया पूर्ण होने में थोड़ा समय लगेगा। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र सेवा प्रदाता द्वारा बैंगलुरू हवाईअड्डे पर 24.05.2023 से प्रस्तावित वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने को ध्यान में रखकर प्राधिकरण, अंतरिम उपाय के तौर पर, बैंगलुरू हवाईअड्डे पर आईएसपी द्वारा प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए एमएबीपीएल को **24.05.2023 से 30.09.2023** तक या आईएसपी के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, **संलग्नक-I** के अनुसार तदर्थ टैरिफ वसूल करने की अनुमति देने का निर्णय लेता है।

आदेश

प्राधिकरण अपने समक्ष उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा आदेश देता है कि :

(i) मैसर्स मेनजीस एविएशन (बैंगलुरू) प्राइवेट लिमिटेड को कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलुरू में कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए **संलग्नक -I** के अनुसार **24.05.2023 से 30.09.2023** तक या आईएसपी के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए इसकी कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर टैरिफ लगाने और वसूल करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) यह आदेश आईएसपी द्वारा कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (केआईए), बैंगलुरू में वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने से पूर्व अपेक्षित सभी विनियामक और सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने की शर्त पर प्रभावी होगा।

(iii) इसमें निर्धारित टैरिफ वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ होगी। अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

(iv) इसमें अनुमोदित टैरिफ दरों में लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

(v) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(राम कृष्ण)
निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी)

सेवा में,

श्री वेंकटा रेड्डी कुनम,
परियोजना प्रमुख - भारत,
मैसर्स मेनजीस एविएशन (बैंगलुरू) प्राइवेट लिमिटेड (एमएबीपीएल),
प्रशासनिक ब्लॉक, कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा,
बैंगलुरू, कर्नाटक-560300

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003.
2. श्री हरी मरार, प्रबंध निदेशक, बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (बीआईएएल) अल्फा-2, प्रशासनिक ब्लॉक, देवनहल्ली, बैंगलोर-560300